

संख्या 24/251/2014—पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 31-7-2014आदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

यतः श्री नारायण कुमार दाधीच ब्रह्म ब्राह्मण के आवेदन दिनांक 17/05/2014, जो संबंधित अनुभाग में दिनांक 02/06/2014 को प्राप्त हुई थी, मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना माँगी थी।

2. यतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को संबंधित सूचना समसंर्ख्यक पत्र दिनांक 30.06.2014 द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

3. यतः श्री दाधीच ने अपने पत्र दिनांक 02.07.2014 (दिनांक 21.07.2014 को प्राप्त) में प्रथम अपील इस आधार पर की है कि उन्हे आवेदन भेजने के 30 दिनों के बाद भी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

4. श्री दाधीच द्वारा दी गई अपील का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना तय समय सीमा में उपलब्ध करा दी गई थी। तथापि उपरोक्त प्रत्युत्तर की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।

5. तदनुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

संलग्नक: पत्र संख्या 24/251/2014—पब्लिक दिनांक 30.06.2014 की प्रति।

*अपील 2014/251*  
 (सतपाल चौहान)  
 संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
 एवं अपीलीय अधिकारी  
 दूरभाष: 23093178

श्री नारायण कुमार दाधीच ब्रह्म ब्राह्मण,  
 किसान छात्रावास के पीछे कॉलोनी,  
 शिवकोलोनी, पोस्ट—मेडता शहर,  
 जिला— नागौर, राजस्थान—341510।

प्रतिलिपि:

अनुभाग अधिकारी(आई टी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

143/RTJ/14H9/2014

9/7/2014 नं गणपतये नमः ॥

POST

मेइता सिटी-नागौर राजस्थान

तारीख: 02 जुलाई-2014

श्रीगणेश-बुधवार **SPEED POST**

सेवामें

श्रीमान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

माननीय गृह-मंत्रालय का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, गृह-मंत्रालय, नईदिल्ली

पाण्डित नारायणकुमार बहूँ-

बाधीय ब्राह्मण

शिवकोतानी, किसान-छात्रावास

के पीछे, पो. मेइता सिटी-341510

जिला- नागौर-राजस्थान

बनाम

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी

निदेशक स. बी.

गृह-मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नईदिल्ली

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना की सम्यावधि 30 तीस दिवस के भीतर में सूचना उपलब्ध न कराने के कारण प्रथम अपील।

महोदयजी,

प्रार्थी का पैरावार प्रथम अपील में निम्न निवेदन हैं :-

- १। कि प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बाबत एक आवेदन पत्र दिनांक : 17-05-2014 को स्पष्ट 10/- का पोस्टल आईर नम्बर २६ F ५५२५०७ सहित प्रार्थना-पत्र पीआईओ को प्रेषित कर सूचना निर्धारित सम्यावधि 30 तीस दिवस में चाही गयी थी।
- २। कि आवेदन-पत्र दिनांक : 17-05-2014 के संदर्भ की सूचना संबंधित कार्यालय के पीआईओ द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 तीस दिवस में सूचना उपलब्ध करवाने या सूचना की उपलब्धता स्थिति-जानकारी-तथ्य बाबत एकदम अस्त्वा रहकर कानून-नियमों की अवहेलना प्रथम दृष्टया की है।
- ३। कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 ॥१॥ के अनुसार यथा “अनुरोध की प्राप्ति के तीस 30 दिवस के भीतर, ऐसी फीस के संदर्भ पर, जो विहित की जाए, सूचना उपलब्ध कराएगा।” परन्तु पीआईओ ने समय सीमा में फीस संदाय संश्लिष्ट गणना-पत्र या सुन्दर पृष्ठों की राशि जमा का पश्च याजानकारी आैन रेकर्ड प्रार्थी को आज तक पंजीकृत डाक-पोस्ट से नहीं मिली है। अतः अब तमाम आवेदन-पत्र की सूचना आैन-पंजीकृत एडी पोस्ट डाक से निःशुल्क पीआईओ से प्रथम अपील में निर्णय आवेदन से दिराई जावें।
- ४। कि समय पर सूचना उपलब्ध न कराने की अलग से विभागीय जाँच भी पीआईओ अधिकारी/कर्मचारी-कार्मिक के विश्व संस्थापन-अनुभाग में दर्ज कर कार्यालयी अमल में लाई जावें-ताकि भविष्य में कोताही न बरती जावें।
- ५। कि अपील जबाब में पीआईओ के जबाब की प्रति “स्पीड-पोस्ट” डाक से प्रार्थी को समय पूर्व दिराई जावें-ताकि प्रत्युत्तर जबाब अपील में प्रार्थी समय पर प्रस्तुत कर सकें।
- ६। कि 30 तीस दिवसीय समय सीमा गुजरने के कारण अब तमाम सूचना पंजीकृत “स्पीड-पोस्ट” डाक से पीआईओ से निःशुल्क तत्काल भिजवाने के निर्देश प्रथम अपील में पारित कर निर्णय प्रति भी “स्पीड-पोस्ट” से दिरावें।
- ७। कि अन्य तथ्य माननीय न्यायालय आज्ञा-अनुमति से प्रस्तुत किए जाएंगे। यहसही है कि प्रथम अपील के तमाम तथ्य व जानकारी सही व सत्य हैं।

संलग्नक : -02-दो में सूल  
आवेदन-पत्र की प्रतियाँ

Two SET  
अपीलपत्रिका

१८०८०२०१४  
पाण्डित नारायणकुमार बहूँ-ब्राधी  
सा. मेइता मो. : 094144- 68794

11 अ० ११

७

# — प्रेषित दोस्त डाक —

प्रेषित :-

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/श्रीमरुन खड़ा/लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय नाम : केन्द्रीय गृह-सांचव, गृह-स्त्रालय, भारत-सरकार, नईदिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने देते  
नियम आवेदन- 6 व नियम- ६४२५ व नियम ६ ४३५ अंतरित कर  
अन्तररप्त के बारे में तुरन्त सूचना दें।

महोदय,

४१५ कि मेरे द्वारा दिनांक: 20 अप्रैल, 2014 की दो बार प्रेषित दोनो प्रार्थना-पत्रों व  
दिनांक: 12 व 13 मई, 2014 के द्वारा प्रेषित मूल प्रार्थना-पत्र व तमाम अनुसंलग्नकों की  
तमाम प्रतियों सहित आगे-पीछे की तमाम प्रतियाँ तीन तीन प्रतियों में दी जावें। उक्त  
पत्र भारत-रत्न/पदमा-अवार्ड की भावी पीस्म नरेन्द्र मोदी से संबंधित भविष्यवाणी हैं।

४२५ कि मेरे द्वारा दिनांक: 20 अप्रैल, 2014 की दो बार प्रेषित दोनो प्रार्थना-पत्रों व  
दिनांक: 12 व 13 मई-2014 को यथा संबोधित माननीय राष्ट्रपति नईदिल्ली व माननीय  
प्रधानमंत्री नईदिल्ली से दोनो विभागों से अप्रेषित कवर-पेज की प्रतिलिपि मय तमाम  
आगे-पीछे की अनुसंलग्नकों की तमाम प्रतियाँ सहित तीन तीन प्रतियों में तमाम प्रतियाँ  
दी जावें। कृपया 20 अप्रैल, 2014 के दो बार प्रेषित-पत्रों के तमाम दो बार की प्रतियादिवें।

४३५ कि राजस्थान-राज्य के नागौर जिले के मेहता तहसील मुख्यालय के सामाजिक कार्यकर्त्ता  
यथा श्रीमती शान्तिकेवी ब्राह्मण व नारायणकुमार बहू-दाधीच ब्राह्मण साकिन-मेहता  
के आवृहंसा-पत्राचार प्रवर्तक बैनर/सामाजिक कार्यकर्त्ता के पदमा-अवार्ड में किस-किस वर्ष में  
नामांकन पदमा-अवार्ड के रजिस्टर में दर्ज होकर नामांकित हुआ है, उस-उस दर्ज नामांकित  
पदमा-अवार्ड के वर्षावार की सूचना विस्तृत-डिटेल में कवरपेज-पृष्ठ से सूचना दी जावें।

उक्त सूचना की पाँच-पाँच प्रतियाँ विशेष स्पष्ट से दी जावें।

26एफ/552407/

आवेदन कीस दस स्पष्टे का पोस्टल आईर नं : सूचना प्रेषित है। सूचना प्रेषित है।  
सूचनाओं के पृष्ठों का शुल्क का अतिरिक्त पोस्टल आईर नं. शुल्क गणना पृष्ठ पत्र मिलने पर  
पृष्ठ से इस पत्र के संलग्न अतिरिक्त स्पष्ट से प्रेषित है। कृपया सूचना डाक से प्रेषित करें।

उपरोक्त सूचनाओं की कोटोप्रति-स्वच्छ प्रतियाँ बाद निम्न पते पर डाक से देवें।

स्थान :- मेहता

दिनांक :- 17 मई-2014

शनिवार

नाम : डाक-पता :

नारायणकुमार दाधीच ब्रह्म- ब्राह्मण

किसान छात्राचारस के पीछे कॉलोनी

शिवकोलोनी

पोस्ट : - मेहताशहर- 341510

इस्ताक्षर : १८०८/१७/०५/२०१४

जि  
मो.26F  
55240717/05/2014  
मेहता डाक

मेहता